(3)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 97/2024
दायर दिनांक 09.12.2024
पीठासीन अधिकारी— विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

— प्रार्थी

बनाम

श्री महेश कुमार जैन पुत्र श्री पन्नालाल, मैसर्स जैन टी स्टॉल, रतलाम रोड, भचुण्डला

— अप्रार्थी

:—आदेश—:

दिनांक 06/03/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की जारी अधिसूचना कमांक प1 (2) कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड सोयाबीन तेल (लूज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने [illegible] लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.09.2024 को 6.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स जैन टी स्टॉल भचुण्डला पहुंचा वहां पर रिफाईण्ड सोयाबीन तेल 4 लीटर लूज अवस्था में रखा था। उस समय मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसे अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। खाद्य कारोबारकर्ता ने अपना नाम

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़

महेश कुमार जैन पुत्र पन्नालाल बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। लूज अवस्था में रखे सोयाबीन तेल पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया और बताया कि उक्त रिफाईण्ड तेल का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है जिसकी प्रति न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सोयाबीन तेल में से 2 लीटर तेल वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 280 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सोयाबीन तेल के पैक पैकेट पर विक्रेता एवं गवाहान के सामने 4 लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड एवं क्रमांक, दिनांक व वस्तु का नाम व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये व विक्रेता तथा गवाह के भी हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग भूरे कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षर पेपर स्लिप नं वाई–2274 नियमानुसार चारो नमूना बोतलो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छह प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल [illegible] मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटरकवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य [illegible] स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय [illegible] आवेदन [illegible] साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर [illegible] खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री महेश कुमार जैन को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी उपस्थित एवं अपने जवाब में बताया कि उसके द्वारा उक्त तेल नाकोडा किराणा स्टोर भचुण्डला से क्रय किया गया है। वह तेल का निर्माता नहीं है ना ही उसके द्वारा तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट की गई है। अतः प्रकरण की कार्यवाही को निरस्त कराने का निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2024/1097 दिनांक 07.10.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त पर 10000/— रू अक्षरे दस हजार रू शास्ति आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान/नगद से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

राजकोष में निर्णय दिनांक **06.03.2025** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

06/03/25

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक / रीडर / 2025 / 491-93 दिनांक 06.03.2025

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेश कुमार जैन पुत्र श्री पन्नालाल, मैसर्स जैन टी स्टॉल, रतलाम रोड, भचुण्डला

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested